कार्यालय : अध्यक्ष, चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर)।

कमांक :–स्था. / 2014/257

दिनांक :– 15.07.2014

– विज्ञप्ति –

बालोतरा न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त 15 अनारक्षित पदों पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 के अन्तर्ग नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है। राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या F14 (1)FD(rules)/2013-II दिनांक 28.06.2013 के अनुसरण में इन रिक्त पदों के लिये चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष तक परीविक्षा काल में निश्चित वेतन रूपये 5400/– प्रतिमाह देय होगा। परीविक्षाकाल के दौरान इनकी सेवाएं संतोषप्रद पाए जाने पर परीविक्षाकाल समाप्ति पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के अन्तर्ग पे–बेण्ड पी.बी.–5200–20200 ग्रेड पे 1700 स्वीकृत किया जा सकेगा। महिलाओं(सामान्य) के लिये नियमानुसार 30प्रतिशत पद आरक्षित रहेगें तथा योग्य महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नियमानुसार पद भरे जायेगे।

अभ्यर्थी के लिये निम्न योग्यता होना आवश्यक हैं–

1. **आयु:–**

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./महिला आदि वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता:–**

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवी कक्षा उतीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

3. **शारीरिक योग्यता:–**

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय प्रत्याशी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. **पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण :–**

राज्य सरकार के आदेश कमांक F 15 (7)FD(rules)/97 दिनांक 13.03. 2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F 12 (FD)(rules) दिनांक 13-03-2008 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन

योजना, मेडिकल अटेंडेंट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण पर सभी नए नियम लागू होंगे।

5. **नागरिकता :–**

आवेदक भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो।

6. **पात्रता एवं चरित्र :–**

आवेदक को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हो एवं 6 माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी आवश्यक हैं।

7. **आवेदन पत्र की अंतिम तिथि :–**

आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को कार्यालय समय सांय 5 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा।

8. जिन अभ्यर्थियों के दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न हुई हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरूष इस आशय का घोषणा पत्र (10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) आवेदन पत्र के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत करें कि उनके दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

9. **नियुक्ति के लिये निरर्हताः–**

अ. कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्निया/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी। जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।

ब. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

10. विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करेंगे तथा जिन अभ्यर्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या उसके पश्चात् हुआ हैं वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश करेंगे तथा दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी तथा अविवाहित अभ्यर्थी नीचे अंकित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (10/– रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करेंगे।

11. **आवदेन पत्र :–**

अभ्यर्थी को सादा कागज पर विज्ञप्ति के सलंग्न निर्धारित प्रारूप में अपना प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, जाति आरक्षित वर्ग (यदि लागू हो) स्थायी पता, वर्तमान पता, नियोजन कार्यालय का पंजीयन संख्या व स्थान, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य कोई अनुभव हो तो उसका उल्लेख हो, प्रार्थना पत्र के अन्त में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कही सेवारत हो तो उसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना पत्र अग्रेषित कराकर प्रेषित करें। अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस हेतु अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणि प्रतिया सलंग्न करें:–

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति
3. आरक्षण चाहने, आयु में छूट चाहने के इच्छुक अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की प्रति
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र
5. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
6. क्रम संख्या 8 के अनुसार अपेक्षित घोषणा पत्र (10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित)
7. क्रम संख्या 10 के अनुसार अपेक्षित शपथ पत्र/प्रमाण पत्र (10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित)

12. **साक्षात्कार:–**

आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही एवं पूर्ण पाए जाएंगे, उनकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 18.08.2014 (सोमवार) को चस्पा की जायेगी तथा उनका साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को सुबह 10:30 से तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में दिनांक 14.09.2014 तक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बाड़मेर के परिसर में लिया जायेगा, जिसकी पृथक से कोई सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रषित नहीं की जायेगी तथा न ही साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय होगा। साक्षात्कार में किसी प्रकार की सिफारिश करने/कराने वाले अभ्यर्थी को इसके अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा, उसका साक्षात्कार ही नहीं लिया जायेगा। जिन प्रमाण पत्रों की

सत्य प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावें वे मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

साक्षात्कार की तिथि व स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता हैं तो इसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी, जिसकी पृथक से कोई सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी। साक्षात्कार में सफल पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार समाप्त होने के सात दिवस के बाद इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।

नोटः—यह विज्ञप्ति वेबसाईट http://ecourts.gov.in/Barmer पर भी देखी जा सकती हैं तथा इसकी प्रति डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष,
चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बाड़मेर)

कमांक :—स्था./2014/

दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा
4. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश.................................. को प्रेषित कर निवेदन हैं कि आपके कार्यालय के सूचा पट्ट पर विज्ञप्ति की प्रति चस्पा करने का श्रम करावें।
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
6. श्री जिला नियोजन अधिकारी, बाड़मेर
7. श्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाड़मेर
8. बालोतरा न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय..
9. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा के सूचना पट्ट पर चस्पा की जावें।
10. सूचना पट्ट न्यायालय हाजा
11. सिविल न्यायाधीश (क.ख.), एवं न्यायिक मजि., सिवाना/ चौहटन के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
12. कार्यालय प्रति

अध्यक्ष,
चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बाड़मेर)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

अभ्यर्थी का स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज फोटो

1. नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. जन्म दिनांक ....
4. राष्ट्रीयता ....
5. जाति ....
6. आरक्षित वर्ग का नाम ....
7. स्थायी पता ....
8. वर्तमान पता ....
9. पंजीयन सख्या व स्थान..
10. शैक्षणिक योग्यता ....
11. दिनांक 01.01.2015 को आयु वर्ष...........माह......... दिन...............
12. अन्य कोई अनुभव/योग्यता ....
13. वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हो पद सेवा की अवधि एवं पदनाम ....
14. अग्रेषक अधिकारी का नाम पदनाम यदि अभ्यर्थी पूर्व में सेवारत है। ....

दिनांक :

हस्ताक्षर प्रार्थी मय पता

शपथपत्र

मैं श्री/सुश्री...पुत्र /पुत्री/पत्नि श्री..निवासी..यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ सम्पन्न हुआ था। परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण दिनांक 22.05.2006 को लागू होने से पूर्व दिनांक ....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ दिनांक ....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं ....अविवाहित हूँ।

या

मैं..विधुर/विधवा हूँ(पत्नी/पति श्री/श्रीमती...)

या

मैं ....तलाकशुदा हूँ।(प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री.. के साथ दिनांक.......................को सम्पन्न हुआ था।

शपथग्रहिता

सत्यापनः—मैं.................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.......................................निवासी..आज बमुकाम.........................मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वर्णित उक्त सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है, इसका कोई भाग गलत नहीं है तथा इसमें कुछ भी छुपाया गया नहीं है।

इति दिनांकः—

स्थानः—

शपथकर्ता

संतान संबंधी घोषणा का शपथ–पत्र

मैं...पुत्र /पुत्री श्री.. निवासी..यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं...पुत्र /पुत्री श्री.. ....निवासी..यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

स्थान:

दिनांक :–

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

कार्यालय : अध्यक्ष, चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर)।

कमांक :–स्था. / 2014

दिनांक :– 15.07.2014

–<u>संक्षिप्त विज्ञप्ति</u> –

बालोतरा न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त 15 अनारक्षित पदों पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्ग नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है। राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या F14 (1)FD(rules)/2013-II दिनांक 28.06.2013 के अनुसरण में इन रिक्त पदों के लिये चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष तक परीविक्षा काल में निश्चित वेतन रूपये 5400 / – प्रतिमाह देय होगा। परीविक्षाकाल के दौरान इनकी सेवाएं संतोषप्रद पाए जाने पर परीविक्षाकाल समाप्ति पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के अन्तर्ग पे–बेण्ड पी.बी.–5200–20200 ग्रेड पे 1700 स्वीकृत किया जा सकेगा। नियमानुसार महिलाओं के लिये पद आरक्षित रहेंगे।

अभ्यर्थी विज्ञप्ति की पूर्ण जानकारी न्यायालय की वैबसाईट **<u>http://ecourts.gov.in/Barmer</u>** तथा बालोतरा न्यायक्षेत्र के सभी न्यायालयों के सूचना पट्ट से प्राप्त कर अपना आवेदन पत्र अंतिम तिथि 07.08.2014 के सांय 5:00 बजे तक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बाड़मेर में जमा करवा सकेंगे।

M Suthar

अध्यक्ष,
चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बाड़मेर)